## न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज0)

निर्णय मिसल संख्या/नयाबत /13/20 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

सरकार

बनाम

**श्री देवेन्द्र पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।**

**निर्णय दिनांकः– 07 अक्तूबर 2020**

पत्रावली पेश हुई। आवाज पर कोई हाजिर नहीं। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहीर हुआ है, कि पटवारी हल्का राजोता के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि ग्राम तिहाड़ा स्थित राजकीय भूमि ख0न0 124 के रकबा 4.26है0, 0.20है0, 0.48है0 में से रकबा 2000 वर्गफीट किस्म गैर मुमकिन में पक्का मकान व चारदीवारी कर श्री देवेन्द्र पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा के द्वारा अतिक्रमण कर लिया है।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस के जवाब मे गैर सायल ने जाहीर किया है कि उनके द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है तथा उक्त भूमि पर उनका कब्जा पुवर्जो के समय से चला आ रहा है। पुराना कब्जा होने की बाबत कोई सबूत होना नही बताया है। आज गैरसायल हाजिर भी नहीं है। कोई सबूत आदि भी प्राप्त नही हुये है। इस प्रकार गैर सायल की अदम हाजिरी में एकतरफा कार्यवाही के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

अतः गैर सायल की अदम हाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर, मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किया जाता है। तथा सरह लगान 1 रूपया का 50 गुणा= 50/ रूपये तावान कायम एवं वसूल का आदेश दिया जाता है। टी0आर0ए0 एवं पटवारी हल्का को वसूली हेतु मांग कायमी करवाई जावे। भू अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी हल्का के नाम भौतिक मौका बेदखली हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो, तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirshan Singh
Date: 2021.02.18 13:23:47 IST
Reason: SelfAttested

रा. ले. सं. 4 ... 2021
पृष्ठ नं. 18
कायम की गई।
तहसील राजस्व लेखाकार
24-12-20

(अमन शर्मा)
नायब तहसीलदार खेतड़ी
नायब तहसीलदार
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं (राज.)

Scanned with CamScanner